

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.11(7)वित्त/कर/2015

जयपुर, दिनांक: 25.4.16

आज्ञा

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 30 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से एतद् द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री जयन्ती लाल जैन	अतिरिक्त आयुक्त	31.05.16
2.	श्री कैलाश चन्द भारद्वाज	सहायक आयुक्त	31.05.16
3.	श्री विमल कुमार पटावरी	उपायुक्त	31.05.16
4.	श्री मन्नु लाल मीणा	सहायक आयुक्त	30.06.16
5.	श्री सुशील श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30.06.16
6.	श्री सुखराम सिंघाटिया	अतिरिक्त आयुक्त	30.06.16
7.	श्री पदमेश तैलंग	अतिरिक्त आयुक्त	31.07.16
8.	श्री गोपाल लाल गुप्ता	उपायुक्त	31.07.16
9.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	31.07.16
10.	श्री मनफूल सिंह सैनी	सहायक आयुक्त	31.08.16
11.	श्री नारायण सिंह यादव	सहायक आयुक्त	31.08.16
12.	श्री रणजीत सिंह	अतिरिक्त आयुक्त	31.08.16
13.	श्री हंगामी लाल भाम्भी	सहायक आयुक्त	30.09.16
14.	श्री शिवादित्य कुमार शर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30.09.16
15.	श्री प्रेमबिहारी शर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	31.10.16
16.	श्री मनोहर पुरी	सदस्य, राज0 कर बोर्ड अजमेर (अति. आयुक्त)	31.10.16
17.	श्री विजेन्द्र सिंह चौधरी	सहायक आयुक्त	31.10.16
18.	श्री बहादुर सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	31.10.16
19.	श्री ओमप्रकाश मंत्री	वाणिज्यिक कर अधिकारी	30.11.16
20.	श्री जगदीश कुमार कुमावत	वाणिज्यिक कर अधिकारी	31.12.16
21.	श्री सुनील शर्मा	सदस्य, राज0 कर बोर्ड अजमेर (अति. आयुक्त)	31.01.17
22.	श्री भंवर लाल गोदारा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	31.01.17
23.	श्री अशोक कुमार चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	28.02.17
24.	श्री प्रमोद मोहन सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	28.02.17
25.	श्री रूग्घा राम	उपायुक्त	28.02.17
26.	श्री वीरभान मीणा	अतिरिक्त आयुक्त	31.03.17

क्रम संख्या 1, 5, 6, 16, 24 एवं 25 पर अंकित अधिकारियों के अतिरिक्त शेष अधिकारियों के लिए प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(डॉ० देवराज)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारीगण द्वारा:- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव